

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 03/04/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजे१ की अध्यक्षता में दिनांक 03/04/2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नोएडा एसईजे१ (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

- A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-
1. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजे१ (NSEZ) (23/09/2008 के पत्र के संदर्भ में वाणिज्य विभाग के नामांकित।)
 2. श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय।
 3. श्री सचिन जैन, डीआईसी (DIC), नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि।)
 4. श्रीमती गरिमा मिश्रा, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा (प्रधान सचिव, उद्योग, यूपी सरकार का प्रतिनिधि।)
 5. श्री चमन लाल, सहायक डीजीएफटी (DGFT), सीएलए (CLA), नई दिल्ली।
 6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, नोएडा प्राधिकरण

B. सर्वश्री (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, एनएसईजे१ (NSEZ), (ii) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजे१ (NSEZ), (iii) प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त, एनएसईजे१ (NSEZ), (iv) जावीर अली, आशुलिपिक, परियोजना अनुमोदन समिति की सहायता के लिए अनुभाग, एनएसईजे१, (v) सत्य विजय वर्मा, एईई (AEE), यूपीपीसीबी (UPPCB), नोएडा और (vi) राजीव कुमार, जेई, यूपीपीसीएल (UPPCL), नोएडा भी उपस्थित थे। यह सूचित किया गया कि निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध था और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 03/03/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 03/03/2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई सन्दर्भ था और न ही आपत्तियाँ। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 03/03/2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) गोल्ड क्राफ्ट इंटरनेशनल - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

सुरेंद्र मलिक

2.1 श्री एस.के. मित्तल, इकाई के मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने देखा कि इकाई द्वारा प्रस्तुत एपीआर (APR) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए इसकी एनएफई (NFE) आय क्रमशः 106.56 लाख रुपये, 16.25 लाख रुपये और 68.12 लाख रुपये थी। इसके अलावा, 31.03.2022 तक इकाई के पास -67.24 लाख रुपये का नकारात्मक एनएफई (NFE) था। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि इकाई ने लंबित फॉरेक्स की वसूली की स्थिति सहित इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16/12/2022 का पूरा जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

2.2 श्री मित्तल ने सूचित किया कि उन्होंने एनएफई (NFE) आय की संशोधित गणना प्रस्तुत की है और उनकी एनएफई आय पिछले ब्लॉक के दौरान कभी भी नकारात्मक नहीं रही है। इकाई पिछले और वर्तमान एपीआर (APR) प्रस्तुतियाँ में आंकड़ों में विसंगति पर स्पष्टीकरण प्रदान करने में असमर्थ थी।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को निम्नलिखित प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

- (i) पांच साल के पिछले ब्लॉक के लिए संशोधित और सही एपीआर (APR), उनके पहले के एपीआर (APR) प्रस्तुतियाँ में गलत आंकड़ों के कारणों का विधिवत उल्लेख करते हुए।
- (ii) फॉर्म-एफ1 में सुधार जो सादी चांदी के आभूषण और प्लेटिनम के आभूषण के लिए गलत और अधूरा 8 अंकों का आईटीसी (एचएस) कोड प्रदान करता है। कई मदों की उत्पादन क्षमता में सुधार 0.00 बताया गया है।
- (iii) प्रस्तुत किए गए निर्यात और एनएफई (NFE) गणना आंकड़ों में विसंगति के कारणों की व्याख्या करते हुए फॉर्म एफ1 में सुधार
- (iv) प्रस्तावित पूंजीगत माल/कच्चे माल के मूल्यों में सुधार।
- (v) कुल विदेशी मुद्रा व्यय का सही विवरण।
- (vi) एसईजेर्ज (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(6ए) के अनुसार स्वीकृति पत्र की समाप्ति से दो महीने पहले स्वीकृति पत्र नवीनीकरण अनुरोध जमा न करने के कारण।
- (vii) सादे और जड़ित सोने/चांदी/प्लैटिनम के आभूषणों और सादे ढलाई वाली वस्तुओं के संबंध में अगले पांच वर्षों के लिए निर्यात, विदेशी मुद्रा व्यय, एनएफई (NFE) आय के अलग-अलग अनुमानों को सही करें क्योंकि दिए गए आंकड़े फॉर्म-एफ1 में उल्लिखित अनुमानों से मेल नहीं खाते हैं।
- (viii) पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के लिए मूल्य संवर्धन उपलब्धि का वर्षवार विवरण जिसमें सादे और जड़ित सोने/चांदी/प्लैटिनम के आभूषणों और मरम्मत/पुनर्निर्माण के संबंध में अलग से उपयोग किए गए निर्यात और इनपुट के मूल्य दिए गए हैं।

सुरेन्द्र मालिक

- (ix) पिछले वर्षों यानी 2021-22 से पहले के निर्यात के मामले में निर्यात के खिलाफ लंबित विदेशी मुद्रा का वर्षवार विवरण भी लंबित है।
- (x) 2017-18 से 2021-22 के दौरान किए गए सभी निर्यात आय की वसूली के लिए इकाई के बैंकर द्वारा विधिवत प्रमाणित प्राप्ति प्रमाण पत्र, वसूली की तिथि का विधिवत उल्लेख। यदि उक्त निर्यात आय अभी भी अप्राप्त है, तो उक्त विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए समय के विस्तार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति देने की आवश्यकता है।
- (xi) इकाई की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए श्री मनोज के पक्ष में मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र।
- (xii) एसईजेड (द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 दिनांक 07/03/2019 के नियम 19(6बी) में निर्दिष्ट मानदंड से संबंधित उपक्रम कि (i) इकाई के कामकाज से संबंधित किसी भी लागू क्रान्तुन का उल्लंघन नहीं किया है; (ii) इकाई ने किसी वैधानिक भुगतान में चूक नहीं की है और (iii) इकाई ने ऐसी कोई गतिविधि नहीं की है जो विकास आयुक्त द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित नहीं है। उल्लंघन/चूक का विवरण, यदि कोई हो, देने की आवश्यकता है।
- (xiii) एनएसडीएल (NSDL) आंकड़े की तुलना में एपीआर (APR) में उल्लिखित निर्यात आंकड़े के बेमेल होने के कारण।
- (xiv) सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के क्र.सं. और विवरण के अनुसार 1120 लाख रुपये की प्रस्तावित स्वदेशी सेवाओं की सूची।
- (xv) क्र.सं. (vii) अर्थात् 71171920 पर उत्पाद का सही विवरण

2.4 अनुमोदन समिति ने अधिकृत कार्यों पर पुनर्विचार किया जो इस प्रकार हैं:

- (i) सादे सोने के आभूषण (71131910) (480 किग्रा/वर्ष)
- (ii) बहुमूल्य, अर्ध-कीमती, पत्थर, कांच के मोतियों के साथ जड़ित सोने के आभूषण (71131940) (30 किग्रा./वर्ष)।
- (iii) पुराने, टूटे और इस्तेमाल किए गए सोने के सादे आभूषणों में से मरम्मत किए गए, नए सिरे से बनाए गए, फिर से पिघलाए गए सोने के सादे आभूषण - 71131910 (12 किग्रा./वर्ष)
- (iv) चांदी के सादे आभूषण (71131130)
- (v) हीरे को अलावा कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, कांच के मोतियों (71131120) के साथ जड़ित चांदी के आभूषण।

सुरेन्द्र मलिक

(vi) प्लेटिनम आभूषण

2.5 अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को इकाई के उत्तर की जांच करने और फ़ाइल पर स्वीकृति पत्र के नवीनीकरण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(3) एमईसी (MEC) ग्लोबल - स्वीकृति पत्र का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धनपत ओसवाल और श्री के पाण्डेय ने प्रस्ताव के बारे में बताया। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने एपीआर (APR) में लंबित विदेशी मुद्रा के बारे में कभी सूचित नहीं किया। इसके अलावा, 4306419/- रुपये का लंबित विदेशी मुद्रा आरबीआई सर्कुलर नंबर 88 दिनांक 12.03.2013 के अनुसार 10% की अनुमेय सीमा से अधिक है, यदि प्राप्त किया गया है तो आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन को वापस करने की आवश्यकता है। प्रतिनिधि लंबित विदेशी मुद्रा और इसकी प्राप्ति के सही आंकड़ों की व्याख्या नहीं कर सके।

3.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मामले को निर्यात के वर्षावर विवरण (शिपिंग बिल/बीआरसी (BRC) के अनुसार और वसूली के लिए लंबित) के साथ सीए (CA) द्वारा प्रमाणित संशोधित एपीआर (APR) जमा करने के निर्देशों के साथ मामले को स्थगित कर दिया। अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि इकाई स्पष्टीकरण प्रदान करेगी कि उन्होंने आरबीआई (RBI) सर्कुलर संख्या 08 दिनांक 04 दिसंबर, 2020 की अनुमेय सीमा से अधिक क्यों लिखा।

(4) एसपीएन (SPN) पावर एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र की वैधता में विस्तार और उत्पादन शुरू होने की तिथि।

4.1 अनुमोदन समिति ने देखा कि एनएसईजेड (NSEZ) सीमा शुल्क की रिपोर्ट के अनुसार, इकाई ने 22/11/2021 को अमरीकी \$ 1672.43 का अपना पहला ठेके का काम किया था।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 22/11/2021 तक इकाई के स्वीकृति पत्र की वैधता बढ़ाने का निर्णय लिया और उत्पादन शुरू करने की तारीख डीसीपी (DCP) को 22/11/2021 के रूप में ध्यान में रखने का भी निर्णय लिया। (विदेशी मुद्रा में पहले ठेके का काम चालान की तिथि)।

(5) सांवरे एफटीडब्ल्यूजेड (FTWZ) सर्विसेज - शराब सहित आईटीसी (एचएस) नीति के तहत सभी वस्तुओं के भंडारण की अनुमति देने का अनुरोध।

5.1 श्री दीपक मित्तल, मालिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कई ग्राहकों से भंडारण के लिए पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि, स्वीकृति पत्र में माल की सीमा के कारण, इसने नए ग्राहक प्राप्त करने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया।

सुरेन्द्र मित्तल

5.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि संवेदनशील रबड़ उत्पादों जैसे व्याप्ति पर कोई स्पष्टता नहीं थी जबकि मांस उत्पादों के एचएस कोड गलत दिखाई देते हैं। श्री मित्तल ने बताया कि वे अभी तक इन उत्पादों का भंडारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑर्डर नहीं हैं। इसके अलावा, इकाई के पास इन उत्पादों के लिए कोई प्रशीतन/भंडारण सुविधा नहीं थी। श्री मित्तल ने आगे बताया कि वर्तमान में उन्हें अध्याय 22, 59, 83, 94, 70, 39 और 60 के तहत उत्पादों की आवश्यकता है।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को अध्याय 39, 59, 60, 70, 83 और 94 के तहत पूर्ण 8-अंकीय आईटीसी (एचएस) कोड/ उत्पादों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इकाई एचएस अध्याय 40 के तहत एचएस कोड जमा करेगी। इसने विकास आयुक्त के कार्यालय को फाइल पर इनकी जांच करने और सूची को मंजूरी देने का अधिकार दिया। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इकाई के अधिकृत संचालन इस शर्त के अधीन होंगे कि इकाई संबंधित घरेलू विनियमों के साथ-साथ भंडारण उत्पादों की डीटीए (DTA) बिक्री के मामले में आईपीआर (IPR) मानदंडों का पालन करेगी। अनुमोदन आगे इस शर्त के अधीन है कि आयात और निर्यात के लिए प्रतिबंधित या प्रतिबंधित उत्पादों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) नईमैक्स - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन शामिल करना।

6.1 श्री प्रणव कपूर, मालिक और श्री सुदीप चट्टोपाध्याय, इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इन सेवाओं के सीपीसी (CPC) कोड प्रस्तुत करने के अधीन स्वीकृति पत्र में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

"बिक्री से पहले और बाद की सेवाएं जैसे:

- (i) अन्य मशीनरी और उपकरणों की रखरखाव और मरम्मत सेवाएं (एसएसी कोड: 998719)
- (ii) अन्य सामानों की रखरखाव और मरम्मत सेवाएं एन.ई.सी. (एसएसी कोड: 998729)
- (iii) अन्य सामानों की स्थापना सेवाएं एन.ई.सी. (एसएसी कोड: 998739)
- (iv) इंजीनियर का मुलाकात शुल्क (एसएसी कोड: 998331)"

(7) आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र में अधिकृत संचालन के रूप में अतिरिक्त भंडारण के सामान को शामिल करना।

7.1 कंपनी के निदेशक श्री राघव झुनझुनवाला अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्हें अध्याय 85 के तहत माल की भंडारण गतिविधि और अध्याय 22 के तहत शराब/अन्य सामान के लिए भी व्यावसायिक प्रस्ताव मिले हैं।

सुरेश मलिक

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद, 8531, 8532, 8536, 8541, 8504, 8542, 8533, 8505, 8540, और 8546 के तहत अतिरिक्त माल के भंडारण को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन अध्याय 8546 के तहत पूरी सूची प्रस्तुत करने के अधीन है। इसके अलावा, आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किसी भी उत्पाद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(8) लक्षण ओवरसीज - अधिकृत परिचालनों में अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोड शामिल करना।

8.1 श्री विपुल अग्रवाल, मालिक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अतिरिक्त उत्पादों यानी मदर बोर्ड (एचएस 84733020) और सही करने वाला: अन्य (एचएस 85044090) को शामिल करने के लिए अधिकृत स्वीकृति पत्र में संचालन में मरम्मत, मरम्मत और पुनरभियांत्रीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह इस शर्त के अधीन है कि आयात या निर्यात के लिए निषिद्ध या प्रतिबंधित किसी भी उत्पाद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) लिस्टर मोस्सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II) - स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और दिनांक 03/03/2023 की एक बार की अनुमति का अनुसमर्थन।

9.1 श्री जय शंकर झा, निदेशक और इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रंजन कुमार सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि 2021-22 और 2022-23 के दौरान इकाई का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। जन प्रतिनिधि इसका कारण नहीं बता सके।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को कंपनी के व्यापार प्रतिरूप और 2021-22 और 2022-23 के दौरान निराशाजनक निर्यात प्रदर्शन के कारणों पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ) के कार्यालय को इकाई के उत्तर की जांच करने और फाइल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(10) नियोक्राफ्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-I)-प्लॉट नंबर 137, एनएसईजेड (NSEZ) में बंदी उपयोग के लिए 400 किलोवॉट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति

10.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 137, एनएसईजेड (NSEZ) में बंदी उपयोग के लिए 400 किलोवॉट के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह अनुमोदन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 07.06.2021 द्वारा संलग्न विद्युत दिशानिर्देशों दिनांक 16.02.2016 के पैरा (iii) के परंतुक के

सुरेंद्र मलिक

संदर्भ में है। यह आगे इस शर्त के अधीन है कि एसईजेड (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के तहत निर्धारित कोई कर/शुल्क लाभ ऐसे बिजली संयंत्र की स्थापना के साथ-साथ संचालन और रखरखाव के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

(11) करोरी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

11.1 श्री प्रशांत शौकीन, निदेशक और श्री सौरभ गांधी, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री शौकीन ने बताया कि उन्होंने परियोजना के वित्तपोषण के लिए अपने पुराने सोने के आभूषण बेचे हैं। इसके अलावा, उन्होंने शेयर जारी करके कंपनी की शेयर पूँजी को अतिरिक्त 1,00,50,000/- रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया है।

11.2 अनुमोदन समिति ने देखा कि सादे सोने के आभूषणों और जड़े हुए सोने के आभूषणों के मूल्यवर्धन के अनुमान निर्धारित मानदंडों से नीचे हैं। इसके अलावा, अब दिए गए मूल्य वर्धन चार्ट में उल्लिखित निर्यात और इनपुट का संचयी मूल्य फॉर्म-एफ में उल्लिखित अनुमानों से मेल नहीं खाता है। इसके अलावा, आवेदक से संशोधित फॉर्म-एफ भी प्रतीक्षित है।

11.3 अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि आवेदक ने जयपुर एसईजेड (SEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने एक प्लॉट खरीदा है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते के साथ-साथ दोनों निदेशकों के आवासीय पते मेसर्स अजीत एक्सपोर्ट्स के मुख्य कार्यालय के पते और उसके भागीदार श्री अजीत सिंह के आवासीय पते के समान हैं। इसके अलावा, निर्देशक के पिता का नाम भी श्री अजीत सिंह है। यह भी नोट करना प्रासंगिक था कि मैसर्स अजीत एक्सपोर्ट्स द्वारा एसईजेड (SEZ) विनियमों के उल्लंघन के उदाहरण थे।

11.4 साइट सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित पाया:

- (i) दीवार पर पारदर्शी सेलो टेप से विधिवत चिपका हुआ एक रंग मुद्रित कागज बना हुआ कंपनी के नाम का बोर्ड देखा गया था।
- (ii) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय परिसर में, किसी अन्य कंपनी के आभूषण/सामान थे, जैसे मैसर्स ब्लिंग फैशन प्राइवेट लिमिटेड।
- (iii) परिसर का रेंट एग्रीमेंट और बिजली बिल कंपनी के नाम पर नहीं था।

11.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया:

- (i) संशोधित फॉर्म-एफ में निर्यात, विदेशी मुद्रा व्यय, एनएफई आय, स्वदेशी और आयातित इनपुट के सही अनुमान दिए गए हैं।

सुरेन्द्र प्रालिक

- (ii) सादे सोने के आभूषणों के संबंध में अलग से मूल्यवर्धन का सही अनुमान, जड़े हुए सोने के आभूषण, सादे चांदी के आभूषण और जड़े हुए चांदी के आभूषण वर्तमान मूल्यवर्धन मानदंडों के अनुसार नियति के मूल्य, स्वदेशी आदानों के मूल्य, आयातित आदानों के मूल्य आदि देते हैं।
- (iii) 370.59 लाख रुपये की प्रस्तावित स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची क्रम संख्या और सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के विवरण के अनुसार।
- (iv) व्यवसाय योजना पर एक विस्तृत नोट कि कैसे वे एनएसईजेड (NSEZ) के साथ-साथ जयपुर एसईजेड में इकाइयां स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें दोनों परियोजनाओं के लिए पूर्ण वित्तीय विवरण शामिल हैं।
- (v) दोनों निदेशकों के वर्तमान आवासीय पते का प्रमाण।
- (vi) विनिर्माण 'मुख्य वस्तुओं में शामिल करने के बाद कंपनी के संशोधित और स्वीकृत ज्ञापन और लेख संगठन की प्रतिलिपि।
- (vii) मैसर्स अजीत एक्सपोर्ट्स और उसके भागीदार श्री अजीत सिंह के साथ संबंधों पर एक विस्तृत नोट।
- (viii) उपरोक्त पैरा 11.4 में टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक
(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

उ. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त